

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/

दिनांक-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री जगमोहन भुपेश , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राशमी (चित्तौड़गढ़) से उपकोषाधिकारी, राशमी (चित्तौड़गढ़) किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री जगमोहन भुपेश द्वारा आदिनांक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री जगमोहन भुपेश को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री जगमोहन भुपेश तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री जगमोहन भुपेश नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल- jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री जगमोहन भुपेश को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/ 2426

दिनांक- 08.02.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राशमी (चित्तौड़गढ़) को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
- 2 उपकोषाधिकारी, राशमी (चित्तौड़गढ़)।
- 3 श्री जगमोहन भुपेश सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राशमी (चित्तौड़गढ़)।


(अरविन्द दीवाम)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/

दिनांक-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री गजेन्द्र कुमार , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण एनालिस्ट कम प्रोग्रामर , सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग, बून्दी से उपकोषाधिकारी, हिण्डोली (बून्दी) किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री गजेन्द्र कुमार द्वारा आदिनांक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री गजेन्द्र कुमार को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री गजेन्द्र कुमार तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री गजेन्द्र कुमार नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल- jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री गजेन्द्र कुमार को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/2426

दिनांक- 08.02.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर , सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग, बून्दी को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मियों को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें ।
- 2 उपकोषाधिकारी, हिण्डोली (बून्दी) ।
- 3 श्री गजेन्द्र सिंह सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय एनालिस्ट कम प्रोग्रामर , सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग, बून्दी

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-II)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/

दिनांक-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री महावीर प्रसाद , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण विकास अधिकारी पंचायत समिति, भैसरोडगढ़ (चित्तौड़गढ़) से खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, रावतभाटा (चित्तौड़गढ़) किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री महावीर प्रसाद द्वारा आदिनांक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री महावीर प्रसाद को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री महावीर प्रसाद तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री महावीर प्रसाद नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल- jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री महावीर प्रसाद को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

दिनांक- 08.02.2018

क्रमांक:एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/ 2426

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 विकास अधिकारी पंचायत समिति, भैसरोडगढ़ (चित्तौड़गढ़) को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मों को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें ।
- 2 खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)।
- 3 श्री महावीर प्रसाद सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति, भैसरोडगढ़ (चित्तौड़गढ़)।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-II)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/

दिनांक-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री कैलाश चन्द भराडिया , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण उपकोषाधिकारी, निम्बाहेडा (चित्तौड़गढ़) से विकास अधिकारी, पंचायत समिति, निम्बाहेडा (चित्तौड़गढ़) किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री कैलाश चन्द भराडिया द्वारा आदिनांक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री कैलाश चन्द भराडिया को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री कैलाश चन्द भराडिया तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री कैलाश चन्द भराडिया नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल- jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री कैलाश चन्द भराडिया को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/2426

दिनांक- 08.02.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 उपकोषाधिकारी, निम्बाहेडा (चित्तौड़गढ़) को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्म को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें ।
- 2 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, निम्बाहेडा (चित्तौड़गढ़)।
- 3 श्री कैलाश चन्द भराडिया सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय उपकोषाधिकारी, निम्बाहेडा (चित्तौड़गढ़) ।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-II)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/

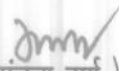
दिनांक-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री संतोष कुमार मंगल , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कोषाधिकारी, धौलपुर से जिला कलक्टर (राजस्व) विभाग, धौलपुर किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री संतोष कुमार मंगल द्वारा आदिनांक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री संतोष कुमार मंगल निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री संतोष कुमार मंगल तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री संतोष कुमार मंगल नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल- jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री संतोष कुमार मंगल को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/ 2426

दिनांक- 08.02.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 कोषाधिकारी, धौलपुर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्म को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें ।
- 2 जिला कलक्टर (राजस्व) विभाग, धौलपुर ।
- 3 श्री संतोष कुमार मंगल , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय कोषाधिकारी, धौलपुर ।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-II)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/

दिनांक-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्रीमती अलका अग्रवाल , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कोषाधिकारी, धौलपुर से महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, श्रेणी “बी” , धौलपुर किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती अलका अग्रवाल द्वारा आदिनांक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्रीमती अलका अग्रवाल को निदेशालय की वेवसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्रीमती अलका अग्रवाल तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्रीमती अलका अग्रवाल नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल- jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्रीमती अलका अग्रवाल को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

दिनांक- 08.02.2018

क्रमांक:एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/2426

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 कोषाधिकारी, धौलपुर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मियों को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें ।
- 2 महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, श्रेणी “बी” , धौलपुर ।
- 3 श्रीमती अलका अग्रवाल , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय कोषाधिकारी, धौलपुर ।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-II)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/

दिनांक-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री विजय अग्रवाल , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नागौर से बाल विकास परियोजना अधिकारी, मेडता (नागौर) किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री विजय अग्रवाल द्वारा आदिनांक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री विजय अग्रवाल निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री विजय अग्रवाल तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 मध्यान्ह पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री विजय अग्रवाल नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल- jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री विजय अग्रवाल को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/ 2426

दिनांक- 08.02.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नागौर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मों को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें ।
- 2 बाल विकास परियोजना अधिकारी, मेडता (नागौर)।
- 3 श्री विजय अग्रवाल , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, नागौर ।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-II)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:एफ-3(ब)/नोटिस/2017-18/

दिनांक-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री सुनील कुमार राठी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कोषाधिकारी, हनुमानगढ़ से जिला एवं सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़ किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सुनील कुमार राठी द्वारा आदिनांक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार राठी को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री सुनील कुमार राठी तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री सुनील कुमार राठी नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल- jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री सुनील कुमार राठी को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक:एफ-3(ब)/नोटिस/2017-18/ 2486

दिनांक- 8/2/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 कोषाधिकारी, हनुमानगढ़ को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्म को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें ।
- 2 जिला एवं सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़ ।
- 3 श्री सुनील कुमार राठी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय कोषाधिकारी, हनुमानगढ़ ।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-II)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/

दिनांक-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री वेदप्रकाश आसीजा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कोषाधिकारी, हनुमानगढ़ से मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, हनुमानगढ़ किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री वेदप्रकाश आसीजा द्वारा आदिनांक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री वेदप्रकाश आसीजा को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री वेदप्रकाश आसीजा तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री वेदप्रकाश आसीजा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल- jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री वेदप्रकाश आसीजा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

दिनांक- 8/2/2018

क्रमांक:एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/ 2416

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 कोषाधिकारी, हनुमानगढ़ को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें ।
- 2 मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, हनुमानगढ़ ।
- 3 श्री वेदप्रकाश आसीजा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय कोषाधिकारी, हनुमानगढ़ ।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-II)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/

दिनांक-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री छगनलाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कोषाधिकारी, हनुमानगढ़ से ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, हनुमानगढ़ किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री छगनलाल द्वारा आदिनांक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री छगनलाल को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री छगनलाल तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री छगनलाल नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल- jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री छगनलाल को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक- 8/2/2018

क्रमांक:एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/2426

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 कोषाधिकारी, हनुमानगढ़ को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें ।
- 2 ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, हनुमानगढ़ ।
- 3 श्री छगनलाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय कोषाधिकारी, हनुमानगढ़ ।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-II)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/

दिनांक-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री अविनाश झांझडिया, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण उपनिदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, हनुमानगढ़ से कोषाधिकारी, हनुमानगढ़ किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री अविनाश झांझडिया द्वारा आदिनांक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री अविनाश झांझडिया को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री अविनाश झांझडिया तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री अविनाश झांझडिया नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल- jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री अविनाश झांझडिया को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/24/16

दिनांक- 8/2/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 उपनिदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, हनुमानगढ़ को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें ।
- 2 कोषाधिकारी, हनुमानगढ़ ।
- 3 श्री अविनाश झांझडिया, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय उपनिदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, हनुमानगढ़ ।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-II)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/

दिनांक-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री लक्ष्मण सिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद(ग्राम.वि.प्र.), धौलपुर से कोषाधिकारी, धौलपुर किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री लक्ष्मण सिंह द्वारा आदिनांक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री लक्ष्मण सिंह निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री लक्ष्मण सिंह तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री लक्ष्मण सिंह नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल- jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री लक्ष्मण सिंह को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/2416

दिनांक- 8/2/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद(ग्राम.वि.प्र.), धौलपुर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्म को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें ।
- 2 कोषाधिकारी, धौलपुर ।
- 3 श्री लक्ष्मण सिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद(ग्राम.वि.प्र.), धौलपुर ।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-भा)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/

दिनांक-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री छीतरमल माली , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण उपकोषाधिकारी, लालसोट (दौसा) से ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, लालसोट (दौसा) किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री छीतरमल माली द्वारा आदिनांक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री छीतरमल माली को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री छीतरमल माली तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री छीतरमल माली नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल- jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री छीतरमल माली को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

दिनांक- 8/2/2018

क्रमांक:एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/ 2426

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 उपकोषाधिकारी, लालसोट (दौसा) को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मियों को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें ।
- 2 ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, लालसोट (दौसा)।
- 3 श्री छीतरमल माली, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय उपकोषाधिकारी, लालसोट (दौसा)।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-II)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/

दिनांक-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कोषाधिकारी, धौलपुर से जिला एवं सेशन न्यायाधीश, धौलपुर किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा आदिनांक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल- jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

दिनांक- 8/2/2018

क्रमांक:एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/2446

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 कोषाधिकारी, धौलपुर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्म को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें ।
- 2 जिला एवं सेशन न्यायाधीश, धौलपुर ।
- 3 श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय कोषाधिकारी, धौलपुर।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-II)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/

दिनांक-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री जमुनादास शिवहरे , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बाडी (धौलपुर) से उपकोषाधिकारी, धौलपुर किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री जमुनादास शिवहरे द्वारा आदिनांक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री जमुनादास शिवहरे को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री जमुनादास शिवहरे तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री जमुनादास शिवहरे नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल- jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री जमुनादास शिवहरे को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

दिनांक- 8/2/2018

क्रमांक:एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/ 2416

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बाडी (धौलपुर) को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मों को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
- 2 उपकोषाधिकारी, धौलपुर।
- 3 श्री जमुनादास शिवहरे, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बाडी (धौलपुर)

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-II)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/

दिनांक-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री सीताराम शर्मा , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सुजानगढ (चूरु) से उपकोषाधिकारी, सुजानगढ(चूरु) किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सीताराम शर्मा द्वारा आदिनांक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री सीताराम शर्मा को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री सीताराम शर्मा तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री सीताराम शर्मा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल- jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करें।

इसके अतिरिक्त श्री सीताराम शर्मा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ ईमेल के माध्यम से प्रेषित करें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

दिनांक- 8/2/2018

क्रमांक:एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/ 1416

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सुजानगढ(चूरु) को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्म को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें ।
- 2 उपकोषाधिकारी, सुजानगढ(चूरु) ।
- 3 श्री सीताराम शर्मा , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सुजानगढ(चूरु) ।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-भा)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/

दिनांक-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री संदीप कुमार जोशी , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण उपकोषाधिकारी, सरदारशहर (चूरु) से विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सरदारशहर (चूरु) किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री संदीप कुमार जोशी द्वारा आदिनांक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री संदीप कुमार जोशी को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री संदीप कुमार जोशी तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री संदीप कुमार जोशी नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल- jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री संदीप कुमार जोशी को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक- 8/2/2018

क्रमांक:एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/ 2426

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 उपकोषाधिकारी, सरदारशहर (चूरु) को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें ।
- 2 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सरदारशहर (चूरु) ।
- 3 श्री संदीप कुमार जोशी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय उपकोषाधिकारी, सरदारशहर (चूरु)।

(अरविन्द दौबान)

अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-II)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/

दिनांक-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री बजरंग लाल जांगिड़ , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण राजस्थान आजीविका योजना, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, चूरु से कोषाधिकारी, चूरु किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री बजरंग लाल द्वारा आदिनांक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री बजरंग लाल को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री बजरंग लाल तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री बजरंग लाल नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल- jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री बजरंग लाल को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

दिनांक- 8/2/2018

क्रमांक:एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/8426

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 प्रबन्धक, राजस्थान आजीविका योजना, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, चूरु को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्म को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
- 2 कोषाधिकारी, चूरु।
- 3 श्री बजरंग लाल जांगिड़, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय प्रबन्धक, राजस्थान आजीविका योजना, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, चूरु।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-II)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:एफ-3(ब)/नोटिस/2017-18/

दिनांक-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री किशन लाल लाटा , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण उपकोषाधिकारी, रतनगढ (चूरु) से ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, रतनगढ (चूरु) किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री किशन लाल लाटा द्वारा आदिनांक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री किशन लाल लाटा को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री किशन लाल लाटा तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री किशन लाल लाटा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल- jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री किशन लाल लाटा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

दिनांक- 8/2/2018

क्रमांक:एफ-3(ब)/नोटिस/2017-18/2446

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 उपकोषाधिकारी, रतनगढ (चूरु) को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें ।
- 2 ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, रतनगढ (चूरु)।
- 3 श्री किशन लाल लाटा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय उपकोषाधिकारी, रतनगढ (चूरु) ।


(अरविन्द धान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-III)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/

दिनांक-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री कन्हैया लाल शर्मा , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कोषाधिकारी, चूरु से उपनिदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, चूरु किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री कन्हैया लाल शर्मा द्वारा आदिनांक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री कन्हैया लाल शर्मा को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री कन्हैया लाल शर्मा तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री कन्हैया लाल शर्मा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल- jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री कन्हैया लाल शर्मा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक- 8/2/2018

क्रमांक:एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/ 2416

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 कोषाधिकारी, चूरु को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें ।
- 2 उपनिदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, चूरु ।
- 3 श्री कन्हैया लाल शर्मा ,सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय कोषाधिकारी, चूरु ।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-II)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/

दिनांक-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्रीमती इन्द्रा काबरा , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़ से जिला कलक्टर (राजस्व) विभाग, चित्तौड़गढ़ किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती इन्द्रा काबरा द्वारा आदिनांक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्रीमती इन्द्रा काबरा को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्रीमती इन्द्रा काबरा तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्रीमती इन्द्रा काबरा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल- jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्रीमती इन्द्रा काबरा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

दिनांक-8/2/2018

क्रमांक:एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/2486

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़ को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्म को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें ।
- 2 जिला कलक्टर (राजस्व) विभाग, चित्तौड़गढ़ ।
- 3 श्रीमती इन्द्रा काबरा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़ ।

(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त-निदेशक(कार्मिक-III)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/अलेसे-II

दिनांक-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री दिनेश कुमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण जिला एवं सत्र न्यायालय, अजमेर से सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री दिनेश कुमार द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री दिनेश कुमार को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री दिनेश कुमार को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री दिनेश कुमार नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp-ta-rj@nic.in /दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री दिनेश कुमार को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/अलेसे-II / 2426

दिनांक- 8/2/2018

प्रतिलिपि:-

1. जिला एवं सत्र न्यायालय, अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. श्री दिनेश कुमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय, अजमेर।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)

क्रमांक: एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री नवीन बिहारी भिवानी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से प्राचार्य, जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अजमेर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री नवीन बिहारी भिवानी द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री नवीन बिहारी भिवानी को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री नवीन बिहारी भिवानी को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री नवीन बिहारी भिवानी नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री नवीन बिहारी भिवानी को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/1436

दिनांक- 2/2/18

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. प्राचार्य, जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अजमेर।
3. श्री नवीन बिहारी भिवानी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

क्रमांक: एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री विष्णुदत्त शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण उपकोष भिनाय से ब्लॉक प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भिनाय में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री विष्णुदत्त शर्मा द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री विष्णुदत्त शर्मा को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री विष्णुदत्त शर्मा को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री विष्णुदत्त शर्मा नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp-ta-rj@nic.in /दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री विष्णुदत्त शर्मा को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

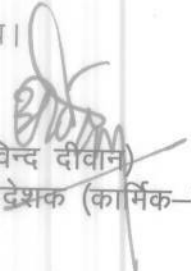

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/8916

दिनांक-8/2/2018

प्रतिलिपि:-

1. उपकोषाधिकारी, उपकोष भिनाय।
2. ब्लॉक प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भिनाय।
3. श्री विष्णुदत्त शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय उपकोष भिनाय।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

क्रमांक: एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री सुरेश कुमार माहेश्वरी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से निदेशक आयुर्वेद, अजमेर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री माहेश्वरी द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री माहेश्वरी को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री सुरेश कुमार माहेश्वरी को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री माहेश्वरी नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp-ta-rj@nic.in /दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री सुरेश कुमार माहेश्वरी को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/2446

दिनांक- 8/2/2018

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. निदेशक आयुर्वेद, अजमेर।
3. श्री सुरेश कुमार माहेश्वरी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।


(अरविन्द दीक्षित)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/अलेसे-11

दिनांक-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री अपिन कुमार गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवायें, अलवर से कोषाधिकारी, अलवर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री गुप्ता द्वारा आदिनांक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री गुप्ता को निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री अपिन कुमार गुप्ता तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री गुप्ता नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp-ta-rj@nic.in /दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

साथ ही इसके अतिरिक्त श्री अपिन कुमार गुप्ता को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/अलेसे-11/24/26

दिनांक- 8/2/2018

प्रतिलिपि:-

1. उपनिदेशक, समेकित बाल विकास सेवायें, अलवर।
2. कोषाधिकारी, अलवर।
3. श्री अपिन कुमार गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय उपनिदेशक समेकित बाल विकास सेवायें, अलवर।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/

दिनांक-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री सुशील कुमार भाटी , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, हनुमानगढ़ से कोषाधिकारी, हनुमानगढ़ किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सुशील कुमार भाटी द्वारा आदिनांक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री सुशील कुमार भाटी निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री सुशील कुमार भाटी तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री सुशील कुमार भाटी नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल- jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री सुशील कुमार भाटी को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/ 24/16

दिनांक- 8/2/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, हनुमानगढ़ को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें ।
- 2 कोषाधिकारी, हनुमानगढ़ ।
- 3 श्री सुशील कुमार भाटी , सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, हनुमानगढ़ ।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-II)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdp1-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/

दिनांक-

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री सुरेश कुमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कोषाधिकारी, हनुमानगढ़ से उपनिदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, हनुमानगढ़ किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सुरेश कुमार द्वारा आदिनांक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार निदेशालय की वेबसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी निर्देशित किया गया है।

श्री सुरेश कुमार तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 08.02.2018 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री सुरेश कुमार नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल- jdp1-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री सुरेश कुमार को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:एफ-3(ख)/नोटिस/2017-18/24/16

दिनांक- 8/2/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 कोषाधिकारी, हनुमानगढ़ को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्म को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें ।
- 2 उपनिदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, हनुमानगढ़ ।
- 3 श्री सुरेश कुमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्यालय कोषाधिकारी, हनुमानगढ़ ।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)